

१३-१-१८

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर
आदेशिका डि० २१-१-११ की अनुपालना
में वादी को राज्य स्तरीय अखबार
में साप्ताहिक प्रस्तुति हेतु डि०
१८-११-१५ को अन्तिम अवसर प्रदान
किया जा चुका है। इस विषय में आज
पुनः स्मरण कराये जाने पर उनके द्वारा
हमेशा की भांती अवसर दिलाये जाने
की प्रार्थना की गई। एक ही विषय
को लेकर बार बार स्मरण कराया
जाना खेदजनक है। फिर भी न्यायालय
के व्यापक हित में एक नितान्त अन्तिम
अवसर आदि-या प्रकृति की स्मृति पर दिया
जाला है। अन्यथा दिल्ली में प्रकाश
में उचित कार्रवाई अभय में लानी
जावेगी। पत्रावली वापस ली है डि०
१५-२-१८ को पेश है।

१५-२-१८

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर
विगत आदेशिका की पालना में वादी वकील
आज पुनः प्रस्ताव करने समर्थ प्रोबेस हेतु
असमर्थ रहे। चूंकि पूर्व में डि० १८-११-१५ को
अन्तिम अवसर दिया जा चुका है फिर भी
निरन्तर न्याय हित में अवसर दिया जा
रहा है।

वादी का वादपत्र पत्र आदेश- ३, पिथम ५
CPC वादी की गैर अनुपालना से जारी है।